# न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी - श्री डॉ अंशु प्रिया, आई ए एस

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| श्री लक्ष्मण पुत्र दाना जी प्रजापत, जाति कुम्हार, निवासी देलवाड़ा, जिला सिरोही। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर। |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956**

**राजस्व प्रार्थना संख्या 6 / 2026**

**दिनांक 11 .5 .2026**

## आदेश

**प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे उपयोग अधिकार की खसरा नंबर 13 रकबा 0.3 बिस्वा की भूमि ग्राम देलवाड़ा तहसील देलदर में आई हुई है। उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में होटल दर्ज है।** यह कि उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 के अनुसार इसका 0 बीघा 3 बिस्वा था। जो कि नामांतरण संख्या 166 दिनांक 04.06.1994 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हुआ। कि उक्त खसरा नंबर 13 की भौतिक स्थिति के अनुसार उक्त खसरा संख्या 13 चारो ओर से खसरा संख्या 14 से घिरा हुआ है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम 3 बिस्वा दर्ज है परंतु राजस्व रिकॉड नक्शे में सही प्रकार अंकन न होने के कारण उक्त खसरा संख्या 13 का रकबा जो कि वास्तव में 0.0379 हैक्टेयर होना चाहिए वह नक्शा में दर्ज खसरा नाप के अनुसार 0.0192 हैक्टेयर ही बनात है जो विधि अनुसार सुधारा जाना आवश्यक है। अतः राजस्व रेकर्ड राजस्व नक्शा को दुरस्त खसरा संख्या 13 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया है, उसे मौके की स्थिति अनुसार कुल नाप 0.0379 हैक्टेयर दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण का जवाब पेश।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया जमाबंदी में खसरा 13 का क्षेत्रफल 0.03 बिस्वा अर्थात 0.379 वर्गमीटर दर्ज है। लेकिन नक्शे में तहसीलदार देलदर की रिपोर्ट अनुसार 0.0227 हैक्टयर ही है। संलग्न रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । जमाबंदी अनुसार नक्शे को दुरस्त करने के आदेश प्रदान किया जाता है। नक्शे में शुद्धि करते समय यह ध्यान रखा जावे कि अन्य किसी खातेदार/पड़ोसी को अनावश्यक विवाद नही हो। उक्त नक्शा शुद्धि से किसी भी खातेदार के अधिकारों में कोई परिवर्तन नही होगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूरोड़

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / दिनांक

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत